

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना विवरण :-

- 1 क) आरक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण। जनपद चमोली के अन्तर्गत बारमगाड से कोटमिला (रेड) मोटर मार्ग का निर्माण।
ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप संलग्न है।
ग) परियोजना की लागत। रु0 281.80 लाख
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य सुदूर एवं पिछड़े क्षेत्र के लिये यातायात की सुविधा हेतु मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना आवश्यक है।
ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये) संलग्न है।
च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है :- कृषि, दुग्ध एवं बागवानी के उत्पादन में वृद्धि होगी तथा रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे।
- 2 कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण :- 0.940 हे0 सिविल, 0.404 हे0 वन पंचायत, कुल 1.344 हे0 वन भूमि
- 3 परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है :-
क) परिवारों की संख्या :- शून्य
ख) अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवारों की संख्या शून्य
ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिये) शून्य
- 4 क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मंजूरी अभी मार्ग कच्चा बनना है आवश्यक हुआ तो डामरीकरण के समय पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
आवश्यक है ? (हाँ / नहीं) संलग्न है।
- 5 प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और / या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचन बद्धता (वचन बद्धता संलग्न की जाये) संलग्न है।
- 6 निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों का अनसूची संलग्न है।
ब्यौरा।

तिथि

स्थान - थराली

Shy
P.A.S.
R.W.D.

Q

(के0पी0 थपलियाल)
अधिशाली अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
चमोली, (गोपेश्वर)

74

प्रपत्र - 3

भाग - 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम सं०

7. परियोजना/स्कीम का स्थान जनपद चमोली के अन्तर्गत बारमगाड से कोटमिला (रेड) मोटर मार्ग का निर्माण।
- i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र उत्तराखण्ड
- ii) जिला चमोली
- iii) वन प्रभाग अलकनन्दा वन प्रभाग गोपेश्वर चमोली।
- iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में) 0.940 हे० सिविल, 0.404 हे० वन पंचायत, कुल 1.344 हे० वन भूमि
- 8 पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति -तदैव-
- 9 अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:
 - i) वन का प्रकार उत्तम
 - ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व प्रतिशत
 - iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना प्रस्ताव में संलग्न
 - iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा प्रस्ताव में संलग्न
- 10 भूकरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट संलग्न
- 11 वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी : 2.00 किमी०
- 12 वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :
 - i) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा : लागू नहीं
 - ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव उत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) लागू नहीं
 - iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) लागू नहीं
 - iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) लागू नहीं

- v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग लागू नहीं किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे
- 13 क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या शून्य प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)
- 14 पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :
- i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि न्यूनतम है, अभी मार्ग प्रस्तावित है। कोई उल्लंघन नहीं गया। स्वीकृति प्राप्त के पश्चात निर्माण करवाया जाना है।
- ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। -
- 15 किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :
- i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के नहीं अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)
- ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वर्तित वन भूमि, शून्य अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही
- iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं) नहीं
- 16 क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :
- i क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की संलग्न विधिक प्रास्थिति।
- ii अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और संलग्न है। क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।
- iii क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण संलग्न है। या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं।
- iv रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय हां सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।
- iv क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय : लाख
- v क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से हां पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)।
- 17 वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात हां से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।
- 18 स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संस्तुति की जाती है। संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें

तिथि

स्थान -

वन क्षेत्राधिकारी
परिवर्तनीय विण्डर राजि.
नारायणगंड

हस्ताक्षर
(नम्रशाहीर क्षेत्राधिकारी)
संरक्षक वन - भाग
संरक्षक वन (बनोकी)

76

Attachement 2.43 (B)

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF
(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Dt. 14/09/2015 for diversion under FCA-1980) of 1.344 ha. of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for Construction of Baramgad to Kotmila (Rej) Motor Road. The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated 15/09/2015.

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Protect forest measuring 1.344 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col. 2 Part I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If so the details there of .

Whether any protected archeological/heritage site/defense establishment or any other important monuments is located in the area, if so the details there of with NOC from competent authority if required -

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

b) It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act, 1980 provisions. A detail report as per para 1.9 of Chapter 1, Para C of Handbook of forest (Conservation) Act, 1980 is attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

Place - Gopeshwar वन क्षेत्राधिकारी
Date - 15/09/2015 प्रसिद्धी विभाग रा.वि.
मारायणगड

(Signature) [Signature]
Name - प्रसिद्धी विभाग
Designation - प्रसिद्धी विभाग
Office Seal - [Seal]

N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
xx out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report form DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.

(9)

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector, Chamoli

No---

Dated 16-09-2015

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 1.344 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Construction Division for Construction of Baramgad to Kotmila (Rei) Motor Road. in Chamoli district falls within jurisdiction of Kotmila village (s) in Tharali tehsils. It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.344 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexureto
- (b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerred Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of.... villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure.....
- (d) the discussion, and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl: As above.


जिलाधिकारी

Signature चमोली

(Full name and official seal of the District Collector)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
District Chamoli (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Sri Ashok Kumar I.A.S deputy commissioner, on dated ~~16.09.2015~~ at time ~~3.00 PM~~ at Chamoli in which application claiming rights in Kotmila area measuring 1.344 hect for the Construction of Baramgad to Kotmila (Rei) Motor Road. forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Tharali sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;.....

Dated:.....


जिनाधिकारी
चमोली

Deputy Commissioner-cum-Chairman
 District Level Committe

Attachement 1.6 (B)

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के अन्तर्गत बारमगाड़ से कोटमिला (रेई) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.940 हे० सिविल, 0.404 हे० वन पंचायत, कुल 1.344 हे० वन भूमि का ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, थराली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, थराली

उपखण्ड थराली परिक्षेत्र के अन्तर्गत 1.344 हे० (हे० आरक्षित वन भूमि, 0.940 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.404 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.344 हे० वन भूमि) का ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील थराली) की दिनांक 18-8-2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अनूप कुमार नैथिवाल, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री अनूप कुमार नैथिवाल उपजिलाधिकारी थराली अध्यक्ष 
- 2- श्री शिवानन्द सुमन उप प्रभागीय वनाधिकारी  सदस्य
- 3- श्री संजय कुमाद खत्री सहायक समाज कल्याण अधिकारी-सदस्य / सचिव S. Sati सदस्य Kalg
- 4- श्री सती कला देवी बी०डी०सी० क्षेत्र गवालदम क्षेत्र पंचायत गवालदम II सदस्य
- 5- श्री बी०डी०सी० क्षेत्र गवालदम क्षेत्र पंचायत गवालदम II सदस्य
- 6- श्री बी०डी०सी० क्षेत्र गवालदम क्षेत्र पंचायत गवालदम II सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चमोली के अन्तर्गत बारमगाड़ से कोटमिला (रेई) मोटर मार्ग के परियोजना हेतु 1.344 हे० वन भूमि ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड थराली परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद चमोली के अन्तर्गत बारमगाड़ से कोटमिला (रेई) मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 1.344 हे० वन भूमि ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।



उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - थराली
जनपद - चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - थराली
जनपद - चमोली